रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2017/भाद्र 28, 1939
No. 365] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/ BHADRA 28, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आरसीबी/आरईजी/2017/01.—प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, 2017 की संविधियों के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 10 के साथ-साथ प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 की 36वीं) की धारा 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र के अध्ययन बोर्ड की ओर से प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (डॉक्टर ऑफ फिलोसिफी डिग्री कार्यक्रम) नियमावली, 2017 को अधिसूचित करती है।

"अध्ययन बोर्ड

(प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र)

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (डॉक्टर आर्फ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम) नियमावली, 2017

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. आर सी बी /आर ई जी/ 2017/01.—अध्ययन बोर्ड, प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विनियम, 2017 से उपाबद्ध दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 10 के साथ पठित प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि कार्यक्रम) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"अधिनियम"** से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक समिति" से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 के अध्यादेश 2.1 के खंड (iii) में निर्दिष्ट शैक्षणिक समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्ययन बोर्ड" से अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) **"प्रादेशिक केन्द्र"** से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट प्रादेशिक केन्द्र अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम या प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विनियम, 2017 या प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र अध्यादेश, 2017 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम या उक्त विनियमों या उक्त अध्यादेश में हैं।

3. **विनियमों का अध्यादेश 8 के अतिरिक्त और अनुपूरक होना** – प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि कार्यक्रम मुख्य रुप से प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी अध्यादेश, 2017 के अध्यादेश 8 के उपबंधों द्वारा विनियमित होगा और ये विनियम उक्त अध्यादेश 8 के उपबंधों के अतिरिक्त और अनुरुप होंगे ताकि इसके अनुपूरक हों और स्पष्ट कर सकें।

4. **प्रवेश प्रक्रिया** – प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में विनियमित होगी, अर्थात् :-

(क) शैक्षणिक समिति, प्रादेशिक केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित सीटों की संख्या का विनिश्चय करेगी परंतु ऐसी अंतिम संख्या अनुसंधान के लिए अपेक्षित योग्यता और उत्साह वाले उपयुक्त छात्रों की उपलभ्यता के आधारपर आधारित होगी और इस प्रयोजन के लिए प्रकाशित संख्या से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांजन प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अध्यादेशों और अनुदेशों के अनुसार उपबंधित किया जाएगा;

(ग) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम के लिए कार्यकारी निदेशक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रवेश समिति का गठन किया जाएगा जिसमें प्रादेशिक केन्द्र के कम से कम तीन संकाय सदस्य, सदस्यों के रुप में और प्रादेशिक केन्द्र का कुलसचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम प्रवेश समिति की अध्यक्षता प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष द्वारा की जाएगी;

(घ) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम के ऐसे प्रवेश के लिए अधिसूचना, प्रादेशिक केन्द्र के कुलसचिव द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार में और प्रादेशिक केन्द्र की बेवसाइट पर व्यापक रुप से प्रकाशित की जाएगी और प्रादेशिक केन्द्र की बेवसाइट पर ऐसे प्रकाशन में अन्य जानकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(i) प्रादेशिक केन्द्र के बारे में ब्रीफ;

(ii) ऐसे प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हताएं और पात्रता मानदंड;

(iii) ऐसे प्रवेश के लिए आनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया ;

(iv) ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख ;

(v) ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षण या साक्षात्कार या दोनों के लिए तारीख ;

(vi) कार्यक्रम के ऐसे प्रवेश के लिए संदेय आवेदन फीस ; और

(vii) ऐसे कार्य्रक्रम की और जानकारी के लिए संपर्क व्यक्ति ;

(ङ.) ऐसे प्रवेश के लिए आवेदक द्वारा अन्य जानकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा ; अर्थात् :-

(i) ऐसे प्रवेश के लिए आवेदक का नाम और उसके माता-पिता का नाम ;

(ii) ऐसे आवेदक का संसूचना के लिए पता, संपर्क फोन संख्या और ईमेल पता ;

(iii) शैक्षणिक अर्हताएं और ऐसे आवेदक द्वारा प्राप्त अंको का प्रतिशत ; और

(iv) क्या आवेदक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या विज्ञान और तकनीकी विभाग या प्रौद्योगिकी विभाग अध्येतावृत्ति या ऐसी अन्य अध्येतावृत्ति के लिए अर्हित है ;

(च) अंतिम तारीख के पश्चात, खंड (ग) में निर्दिष्ट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम प्रवेश समिति द्वारा सभी आवेदन छांटे जाएंगे और आवेदकों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम प्रवेश समिति द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम प्रवेश समिति ऐसे प्रवेश के साक्षात्कार के लिए आवेदकों को युक्तियुक्त संख्या में छांटने के लिए कोई अन्य मानदंड लेखबद्ध करके अपना सकेगी ;

(छ) ऐसे प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की सूची और ऐसे प्रवेश के लिए एक उपयुक्त प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी और प्रादेशिक केन्द्र को कुलसचिव द्वारा चयनित आवेदक को ईमेल द्वारा या अन्यथा सूचित किया जाएगा ;

(ज) शैक्षणिक समिति, शोधपत्र पर्यवेक्षक के आबंटन के लिए पद्धति का विनिश्चय करेगी और प्रवेश प्रस्ताव के भाग रूप में संबंद्ध आवेदक को उसकी जानकारी देगी ;

(झ) ऐसा आवेदक प्रवेश सुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रवेश फीस का संदाय करेगा और शैक्षणिक कार्यक्रम अंतिम तारीख तक, जब तक कार्यकारी निदेशक द्वारा अंतिम तारीख का विस्तार प्रदत्त न कर दिया गया हो, प्रवेश लेगा और उन आवेदकों के स्थान पर, जो फीस का संदाय करने में असफल रहते हैं या अंतिम तारीख तक या ऐसी विस्तारित अंतिम तारीख तक प्रवेश लेने में असफल रहते हैं, प्रतिक्षासूचीबद्ध आवेदक को प्रवेश प्रस्तावित किया जाएगा ;

(ञ) ऐसे आवेदकों पर जो उनकी अर्हक डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि वे सभी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में अनंतिम प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा ;

(ट) ऐसा कोई आवेदक जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में प्रविष्ट है चिकित्सक दृष्टतया आयोग्य पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा ;

(ठ) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए ऐसे किसी आवेदक को प्रादेशिक केन्द्र के प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यक्रम के लिए सदभावी छात्र के रुप में पहचान पत्र जारी किया जाएगा ;

(ड) यह अनिवार्य है कि ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया कोई छात्र को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश से तीस दिन के भीतर उसकी अध्येतावृत्ति के सक्रियण के लिए आवेदन करे ;

(ढ) यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ऐसे किसी आवेदक ने ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए मिथ्या या गलत कथन किया है या उसके द्वारा अन्य कपटपूर्ण साधनों का उपयोग किया गया है तो उसका नाम प्रादेशिक केन्द्र की नामावली से हटा दिया जाएगा ;

5. **पात्रता शर्तें** – प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें होंगी, अर्थात् :-

(क) प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता,किसी विश्वविद्यालय या ऐसे प्रयोजन के लिए शैक्षणिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान से संबंधित किसी क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी में स्नात्तोतर डिग्री या चिकित्सा स्नातक या शल्य चिकित्सा स्नातक डिग्री या कोई समतुल्य डिग्री, होगी ;

(ख) शैक्षणिक समिति, ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए अहर्क परीक्षा में न्यूनतम अंक नियत करेगी और ऐसे प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांजन प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत अंकों की रियायत दी जाएगी ;

(ग) ऐसा आवेदक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर परीक्षण अर्हित होगा, जिसके अन्तर्गत विश्विद्यालय अनुदान आयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या विज्ञान और तकनीकी विभाग या जैव प्रौद्योगिकी विभाग या किसी अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा संचालित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि संबंधी अध्येतावृत्ति परीक्षण, भी है, और ऐसे आवेदक जिनके पास विज्ञान और तकनीकी विभाग की प्रेरित अनुसंधान संबंधी विज्ञान खोज नवपरिवर्तन (डी एस टी- इन्सपायर) अध्येतावृत्ति है, भी ऐसे प्रवेश के लिए पात्र होंगे ।

6. **पाठ्यक्रम कार्य** – प्रादेशिक केन्द्र पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम कार्य निम्नलिखित रुप में होगा, अर्थात् :-

(क) प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए छात्र को अपनी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए पूर्व अध्यपेक्षा के रुप में न्यूनतम चार प्रत्यय अनुसंधान पद्धति पर अनिवार्य पाठ्यक्रम के लिए दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने और जीव विज्ञान अनुसंधान लेखन, संगणनात्मक और सांख्यिकी पद्धतियां, अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास और अनुसंधान में आचार और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में समकालीन तकनीकों को लागू करना जैसे क्षेत्र समाविष्ट हैं ;

(ख) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित ऐसे पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु शैक्षणिक समिति द्वारा पुनरीक्षित और अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी ;

(ग) प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र को पाठ्यक्रम कार्य के प्रारम्भिक प्रथम या दिव्तीय सेमेस्टर में पूरा करना अपेक्षित होगा जब तक कि समय का कोई विस्तार प्रादेशिक केन्द्र के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) द्वारा वास्तविक कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुदत्त न कर दिया जाए ;

(घ) यदि ऐसा छात्र अध्ययन बोर्ड द्वारा नियत अपेक्षित न्यूनतम संचयी ग्रेड पाईंट औसत (सी. जी. पी. ए.) प्राप्त नहीं करता है तो शैक्षणिक समिति छात्र सलाहकार समिति और गाईड की सिफारिशों पर अपेक्षित संचयी ग्रेड पाईट औसत प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम को दोहराने का एक अंतिम अवसर प्रदान कर सकेगी ।

7. **शोधपत्र अनुसंधान कार्य और पर्यवेक्षण** – प्रादेशिक केन्द्र में शोधपत्र अनुसंधान कार्य और उसका पर्यवेक्षण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई छात्र प्रादेशिक केन्द्र में इस प्रयोजन के लिए छात्र सलाहकार समिति (एस. ए. सी.) के परामर्श और गाईड के पर्यवेक्षण अधीन मूल अनुसंधान कार्य करेगा और ऐसा कार्य छात्र द्वारा एक अनुसंधान शोधपत्र के प्ररुप में कार्यकारी निदेशक द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ख) किसी भी समय किसी सहायक आचार्य को अधिकतम चार छात्र प्रादेशिक केन्द्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफि डिग्री कार्यक्रम गाईड करना एक सहयुक्त आचार्य को छह छात्र गाडड करना अनुज्ञात होगा परंतु असाधारण परिस्थितियों के अधीन, कार्यपालक निदेशक इस शर्त का अधित्यजन, ऐसे अधित्यजन के लिए कारणों को सम्यक रूप से लेखबद्ध करके, कर सकेगा ;

(ग) ऐसे छात्र को उसके शोधपत्र के कम से एक भाग को अनुसंधान पत्र के प्ररुप में शोधपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व किसी श्रेणी पुनर्विलोकित वैज्ञानिक जरनल में प्रकाशित करना होगा ।

(घ) छात्र प्रादेशिक केन्द्र में छात्र सलाहकार समिति के सामने शोधपत्र को प्रस्तुत करने से पूर्व उसके कार्य का प्रस्तुतीकरण करेगा जो प्रादेशिक केन्द्र के सभी संकाय सदस्यों और अनुसंधान करने वाले छात्रों के लिए इस

प्रयोजन के लिए खुला होगा तथा श्रोतागण की प्रतिक्रिया और टीका-टिप्पणियों को छात्र सलाहकार समिति के साथ परामर्श से शोधपत्र में यथोचित रुप से सम्मिलित किया जाएगा ;

(ङ) शैक्षणिक समिति, शोधपत्र में साहित्यिक चोरी और किसी अन्य शैक्षणिक कपट का पता लगाने के लिए किसी साफ्टवेयर या पद्धति की सिफारिश करेगी और शोधपत्र में आवेदक से और कार्य मौलिकता संप्रमाणित करने का अनुप्रमाणन करने वाले गाइड से वचनबंध होगा, कि यह साहित्यिक चोरी से मुक्त है और वह कार्य किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ;

(च) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) द्वारा, ऐसे छात्र द्वारा शोधपत्र प्रस्तुत करने से लेकर जनता के सामने मौखिक परीक्षा तक, छह मास की अवधि के भीतर शोधपत्र की प्रतिरक्षा के सभी प्रयास किए जाएंगे ।

डॉ. सुधांशु व्रती, अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड"

चन्द्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./232/17]

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2017

No. RCB/REG/2017/01.—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016) along with article 10 of the of the Second Schedule annexed to the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, the Central Government on behalf of the Board of Studies, Regional Centre for Biotechnology hereby notifies the Regional Centre for Biotechnology (Doctor of Philosophy Degree Programme) Regulations 2017.

"BOARD OF STUDIES

(REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY)

Regional Centre for Biotechnology (Doctor of Philosophy Degree Progamme) Regulations, 2017

New Delhi, the 15th September, 2017

No. RCB/REG/2017/01.—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016) read with article 10 of the Second Schedule annexed to the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, the Board of Studies hereby makes the following regulations, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Regional Centre for Biotechnology (Doctor of Philosophy Degree Programme) Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

   (a) "Act" means the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016);

   (b) "Academic Committee" means the Academic Committee referred to in clause (iii) of ordinance 2.1 of the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017;

   (c) "Board of Studies" means the Board of Studies referred to in clause (c) of section 2 of the Act;

   (d) "Regional Centre" means the Regional Centre referred to in Clause (n) of section 2 of the Act.

   (2) Words or expressions used herein and not defined but defined in the Act or the Statutes of the Regional Centre for Biotechnology, 2017 or the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act or the said Statutes or the said Ordinances.

3. **Regulations to be in addition to and supplement ordinance 8. –** The Doctor of Philosophy degree programme at the Regional Centre shall be primarily regulated by the provisions of ordinance 8 of the Ordinances of the Regional Centre for Biotechnology, 2017 and these regulations shall be in addition to and consistent with the provisions of the said ordinance 8 so as to clarify and supplement it.

4. **Admission process.** – The admission process for Doctor of Philosophy degree programme at the Regional Centre shall be regulated in the following manner, namely:-

(a) the academic committee shall decide the number of seats proposed to be filled in each year for the Doctor of Philosophy degree programme at the Regional Centre, but such final numbers shall be based on the availability of the suitable students with requisite aptitude and zeal for research and shall not exceed the advertised numbers for such purpose;

(b) reservation of seats for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities category shall be provided in accordance with the rules, guidelines, ordinances and instructions of the Central Government in this regard;

(c) in each academic year, a Doctor of Philosophy degree programme admission committee comprising of at least three faculty of the Regional Centre as members and the Registrar of the Regional Centre as the member-secretary shall be constituted by the Executive Director for overseeing such admission process and the Doctor of Philosophy degree programme admission committee shall be chaired by the Dean (Academics) of the Regional Centre;

(d) the notification for such admission to the Doctor of Philosophy degree programme shall be widely advertised in the national dailies and website of the Regional Centre by the Registrar of the Regional Centre and such advertisement on the Regional Centre website shall contain the following key information besides the other information namely:-

(i) a brief about the Regional Centre;

(ii) essential qualifications and eligibility criteria for such admission;

(iii) procedure for online or offline applications for such admission;

(iv) deadline for application submission for such admission;

(v) date for admission test or interview or both for such programme;

(vi) application fee payable for such admission to the programme; and

(vii) the contact person for further information for such programme;

(e) the applicant for such admission shall be required to provide the following necessary information besides the other information, namely:-

(i) name of the applicant for such admission and name of his father and mother;

(ii) address for communication and contact phone number and e-mail address of such applicant;

(iii) educational qualifications and percentage of marks obtained by such applicant; and

(iv) whether the applicant is qualified for University Grants Commission or Council for Scientific and Industrial Research or Indian Council for Medical Research or Department of Science and Technology or Department of Biotechnology fellowship or such other fellowship;

(f) after the closing date, all applications shall be screened by the Doctor of Philosophy programme admission committee referred to in clause (c), and the applicants shall be asked to appear for written test or interview, or both, conducted by the Doctor of Philosophy programme admission committee, and the Doctor of Philosophy programme admission committee may adopt any other criteria, to be recorded, for short-listing the applicant to a reasonable number for the interview for such admission;

(g) list of applicants selected for such admission and a suitable waitlist for such admission shall be prepared and the selected applicant shall be informed by e-mail or otherwise by the Registrar of the Regional Centre;

(h) the Academic Committee shall decide the method for allocation of the thesis supervisor and inform the same to the concerned applicant as part of the admission offer;

(i) for securing admission, such applicant shall be required to pay the admission fee and join the academic programme by a deadline, unless granted an extension of the deadline by the Executive Director, and waitlisted candidate shall be offered admission in place of those applicants who fail to pay the fee or join by the deadline or so extended deadline;

(j) such applicants studying in the final year of their qualifying degree shall be considered for provisional admission to the Doctor of Philosophy programme subject to the condition that they satisfy all the other requirements;

(k) such an applicant who has been admitted to the Doctor of Philosophy programme is found to be medically unfit, the admission of such applicant shall be cancelled;

(l) such an applicant admitted to the Doctor of Philosophy programme shall be issued an identity card by the authority of the Regional Centre as a *bona fide* student for such programme;

(m) it is mandatory that such a student admitted in such programme shall apply for the activation of his fellowship within thirty days of admission to the Doctor of Philosophy programme.

(n) if at any time it is discovered that such an applicant has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used by him for securing admission to such programme, his name shall be removed from the rolls of the Regional Centre.

5. **Eligibility conditions.** - The following shall be the eligibility conditions for Doctor of Philosophy programme of the Regional Centre, namely:-

(a) the minimum qualification for admission to the Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre shall be the Master's degree in the area related to life sciences and biotechnology, or a Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree, or an equivalent degree from a University or institution recognised by the Academic Committee for such purpose;

(b) the Academic Committee shall fix the minimum marks in the qualifying examination for making the application for such admission and the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities shall be given relaxation of five per cent marks for such admission; and

(c) such applicant must have qualified national level test for pursuing Doctor of Philosophy degree including a doctoral fellowship test conducted by University Grants Commission or Council for Scientific and Industrial Research or Indian Council for Medical Research or Department of Science and Technology or Department of Biotechnology or any other government recognised agency and the applicants with Department of Science and Technology – Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (DST-INSPIRE) fellowship shall also be eligible for such admission.

6. **Course work.** - The course work for the Doctor of Philosophy degree programme at the Regional Centre shall be as under, namely:-

(a) a student admitted to the Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre shall have to complete a minimum of eight credit course work as a prerequisite for continuing the research work towards his Doctor of Philosophy degree and a minimum of four credits shall be assigned to a compulsory course on research methodology covering areas such as formulating a research proposal and grant writing, computational and statistical methods for life science research, good laboratory practices and ethics in research, and application of contemporary techniques in biotechnology research;

(b) the content of such course to be offered for the Doctor of Philosophy programme shall be reviewed by the Academic Committee and approved by the Board of Studies;

(c) a student admitted to the Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre shall be required to complete the course work in the initial first to second semesters unless an extension of time is granted by the Dean (Academics) of the Regional Centre for genuine reasons to be recorded in writing; and

(d) in case such student does not obtain the minimum required cumulative grade point average (CGPA) fixed by the Board of Studies, the Academic Committee, on the recommendations of the Student Advisory Committee and the guide, may give one last opportunity to repeat a course to achieve the required cumulative grade point average.

7. **Thesis research work and supervision.** - The thesis research work and its supervision at the Regional Centre shall be performed in the following manner, namely:-

(a) a student registered for the Doctor of Philosophy programme at the Regional Centre shall carry out original research work under supervision of a guide and mentorship of the Student Advisory Committee (SAC) for such purpose in the Regional Centre and such work shall be submitted by the student in the form of a research thesis to be evaluated by external examiners appointed by the Executive Director;

(b) at any point of time, an Assistant Professor is allowed to guide a maximum of four Doctor of Philosophy students, an Associate Professor to guide six students, and a Professor to guide eight students of the Regional Centre, but under exceptional circumstances, the Executive Director may waive off this condition duly recording the reasons for such waiver;

(c) such student must have published at least a part of his thesis in the form of a research paper in a peer-reviewed scientific journal before the thesis submission;

(d) prior to the submission of the thesis, the student shall make a presentation of his work before the Student Advisory Committee at the Regional Centre for such purpose which shall be open to all faculty members and research students of the Regional Centre and the feedback and comments from the audience shall be suitably incorporated in the thesis in consultation with the Student Advisory Committee;

(e) the Academic Committee shall recommend a software or method to detect plagiarism and any other academic dishonesty in the thesis and the thesis shall have an undertaking from the candidate and certificate from the guide attesting to the originality of the work vouching that it is free from plagiarism and that the work has not been submitted for any other degree or diploma elsewhere;

(f) all attempts shall be made by the Dean (Academics) to complete the process from thesis submission to the public *viva voce* examination of such student to defend the thesis within a period of six months.

Dr. SUDHANSHU VRATI, Chairperson of Board of Studies"

CHANDRA PRAKASH GOYAL, Jt. Secy.

[ADVT-III/4/Exty./232/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.20 17:32:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.